कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

संख्या 162 /टास्क फोर्स–2/ई–लॉटरी/2024–25 दिनांकःमई 27,2025

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

विषयः–आबकारी वर्ष 2025–26 हेतु नवसृजित दुकानों के व्यवस्थापन हेतु कराये जाने वाले ई–लॉटरी के चतुर्थ चरण के सम्बन्ध में।

महोदया/महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि आबकारी नीति 2025–26 के प्रस्तर 5.11.3 (घ) में प्रावधानित है–"उपरोक्त उप प्रस्तर–(ख) से आच्छादित अव्यवस्थित एवं नवसृजित दुकानों का व्यवस्थापन ई–लॉटरी के माध्यम से किया जायेगा और ई–लॉटरी के अंतिम चरण के पश्चात् व्यवस्थापन का एक अंतिम प्रयास किया जायेगा और जनपद की अवशेष समस्त अव्यवस्थित दुकानों को ई–टेण्डर से व्यवस्थित कराया जायेगा तत्पश्चात् अव्यवस्थित समस्त दुकानें समाप्त हो जायेंगी।" उल्लेखनीय है कि ई–लॉटरी के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चरण के माध्यम से पूर्व में आबकारी दुकानों यथा–देशी मदिरा, कम्पोजिट दुकानों, भाँग की दुकानों तथा मॉडल शॉप्स का व्यवस्थापन कराया जा चुका है। उक्त के दृष्टिगत ई–लॉटरी के चतुर्थ चरण की समय–सारिणी निम्नवत् प्रस्तावित हैः–

चतुर्थ चरण	दिनांक व समय
चतुर्थ चरण की ई–लाटरी हेतु दुकानों को मार्क करने की अन्तिम तिथि व समय	28.05.2025 को सायं 5:00 बजे तक
चतुर्थ चरण की ई–लाटरी हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने एवं प्रासेसिंग फीस का भुगतान आरंभ करने की तिथि व समय	29.05.2025 को मध्यान्ह् 12:00 बजे से
चतुर्थ चरण की ई–लाटरी हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि व समय	05.06.2025 को सायं 5.00 बजे तक
ई–लाटरी हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों का परीक्षण करके आवेदन पत्रों को ई–लॉटरी हेतु मार्क करके डेटा लॉक करने की अन्तिम तिथि व समय	08.06.2025 को सायं 5:00 तक
चतुर्थ चरण की ई–लाटरी की तिथि व समय एवं स्थल	10.06.2025 को मध्यान्ह् 12:00 बजे से, समाप्ति तक जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित स्थल पर
चतुर्थ चरण के आवंटियों द्वारा देयताओं को जमा करने की अंतिम तिथि व समय	13.06.2025 को सांय 5:00 बजे तक

नोटः–

1–यदि किसी कारणवश उपरोक्त किसी निर्धारित तिथि को सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया जाता है या पूर्व घोषित सार्वजनिक अवकाश रहता है, तो उसके बावजूद संबंधित तिथि के लिये निर्धारित कार्य यथावत संपादित किये जायेंगे।

2–मदिरा एवं भांग की फुटकर दुकानों की ई–लॉटरी विभागीय पोर्टल **https://exciseelotteryup.upsdc.gov.in** पर संपन्न करायी जायेगी।

अतः अनुरोध है कि कृपया उपर्युक्त समय–सारिणी से समस्त सम्बन्धित को अवगत कराते हुये स्वच्छ एवं पारदर्शी तरीके से ई–लॉटरी के चतुर्थ चरण की प्रकिया का निष्पादन अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्गत

Scanned with OKEN Scanner

पत्र संख्याः 30306–30381/टास्क फोर्स–2/ई–लॉटरी/2024–25 दिनांक 28.02.2025 के अनुसार कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डा. आदर्श सिंह)
आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

संख्या /टास्क फोर्स–2/ई–लॉटरी/2024–25/तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, आबकारी विभाग, बापू भवन, लखनऊ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त सम्बन्धित पुलिस आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त सम्बन्धित एस.एस.पी./एस.पी. जनपद, उत्तर प्रदेश।
4. सूचना निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, सूचना भवन, लखनऊ।
5. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, योजना भवन, लखनऊ।
6. श्री शैलेष कुमार श्रीवास्तव, वरिष्ठ निदेशक (आई0टी0) एवं प्रभागाध्यक्ष, एन0आई0सी0 राज्य केन्द्र, उ0प्र0, लखनऊ।
7. संयुक्त आबकारी आयुक्त, ई.आई.बी., मुख्यालय, को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त के सम्बन्ध में प्रेस नोट जारी करवायें तथा विभाग के ट्विटर हैंडल पर भी मैसेज प्रेषित करवायें।
8. समस्त सम्बन्धित संयुक्त आबकारी आयुक्त, जोन, उत्तर प्रदेश।
9. समस्त सम्बन्धित उप आबकारी आयुक्त, प्रभार, उत्तर प्रदेश।
10. समस्त सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी, उत्तर प्रदेश को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
11. समस्त सम्बन्धित जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
12. श्री संजय यादव–2, सहायक आबकारी आयुक्त, टास्क फोर्स को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त के सम्बन्ध में ई–लॉटरी पोर्टल एवं IESCMS पोर्टल पर सूचना अपलोड करायें।
13. समस्त अनुभाग अधिकारी, मुख्यालय।

(डा. आदर्श सिंह)
आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

Scanned with OKEN Scanner

अतिमहत्वपूर्ण

कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

संख्या 30306-30381 /टास्क फोर्स–2/ई–लॉटरी/2024–25/दिनांकः फरवरी 28, 2025

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

विषय :– देशी मदिरा, कम्पोजिट दुकानों, भॉग की दुकानों और मॉडल शॉप्स की दिनांक 06.03.2025 को सम्पन्न होने वाली ई–लॉटरी के प्रथम चरण की प्रक्रिया के सफल सम्पादन के सम्बन्ध में।

महोदया/महोदय,

कृपया इस कार्यालय से निर्गत अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या–7617/दस–लाइसेंस–367/सुझाव आबकारी नीति/2025–2026, प्रयागराज दिनाँक 06.02.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत आबकारी दुकानों यथा–देशी मदिरा, कम्पोजिट दुकानों, भाँग की दुकानों तथा मॉडल शॉप्स का ई–लॉटरी के माध्यम से व्यवस्थापन कराये जाने हेतु समय–सारिणी प्रकाशित करायी गयी है। उक्त समय–सारिणी के अनुसार प्रदेश के समस्त जनपदों में ई–लॉटरी के प्रथम चरण की प्रक्रिया 06.03.2025 को सम्पन्न होनी है। इस निमित्त आवश्यक है कि सम्पूर्ण प्रकिया त्रुटिविहीन ढंग से पारदर्शिता व शुचिता के साथ संपन्न की जाये।

2– उक्तानुसार दुकानों की ई–लॉटरी की प्रकिया संगत नियमावलियों के अनुसार प्राविधानित निम्नवत् जिला स्तरीय समिति के समक्ष संपादित की जाय–

1–जिला कलेक्टर– **अध्यक्ष**

2–जिले का वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त द्वारा नामित अधिकारी जो सहायक पुलिस आयुक्त के स्तर से निम्न नहीं होगा– सदस्य

3–आबकारी आयुक्त द्वारा नामित आबकारी विभाग का एक राजपत्रित अधिकारी– सदस्य

4–जिले का जिला आबकारी अधिकारी – सदस्य/सचिव

ई–लॉटरी प्रकिया के दौरान उपरोक्त समिति के समस्त सदस्य अनिवार्य रूप से स्वयं उपस्थित रहेंगे।

3– ई–लॉटरी प्रकिया के सम्पादन के पूर्व आवेदकों के ऑन–लाइन प्राप्त प्रार्थना–पत्रों का परीक्षण कर प्रत्येक दुकान के अर्ह एवं अनर्ह आवेदकों की सूची ई–लॉटरी पोर्टल में मार्क कर ली जायेगी एवं आवेदक/आवेदन को अनर्ह घोषित करने का कारण भी उल्लिखित किया जायेगा। तदोपरान्त इस सूची को डाउनलोड किया जायेगा।

4– अर्ह पाये गये आवेदनों से सम्बन्धित विवरण को उपरोक्त प्रस्तर–3 की कार्यवाही पूर्ण करके जिला आबकारी अधिकारी द्वारा पोर्टल पर लॉक किया जायेगा। उपरोक्तानुसार लॉक करने से पहले यह अवश्य सुनिश्चित किया जायेगा कि लॉक किया जा रहा विवरण सही हैं।

5– तैयार की गयी सूचियों को विभागीय नोटिस बोर्ड पर तथा लॉटरी पाण्डाल/हॉल में अवश्य प्रदर्शित किया जाये। इसके अतिरिक्त जिन दुकानों के आवेदन के सम्बन्ध में यदि कोई समुचित अथवा विधिक कारण हो, तो उस दुकान का आंवटन समिति द्वारा रोका जा सकता है। इस हेतु जिला आबकारी अधिकारी द्वारा ई–लॉटरी पोर्टल पर उपलब्ध सुविधा का प्रयोग प्रस्तर–4 के अंतर्गत लॉक करने की कार्यवाही के पूर्व ही अवश्य कर लिया जाय।

6– दुकानों के आवंटन हेतु ई–लॉटरी की कार्यवाही रैण्डमाइजेशन प्रणाली द्वारा प्रत्येक जनपद के लिये स्वतंत्र रूप से जिला आबकारी अधिकारियों द्वारा लॉक किये गये केन्द्रीयकृत डेटाबेस पर सम्पन्न की जायेगी। यह कार्यवाही निर्धारित दिनांक एवं समय पर चयन समिति तथा आवेदकों की उपस्थिति में सम्पन्न करायी जायेगी।

7– ई–लॉटरी प्रकिया में सभी आवेदकों के चयन की संभावना समान होती है, यह तथ्य सिमुलेशन के माध्यम से दिखाया जायेगा। समय की कमी को देखते हुये प्रत्येक प्रकार की दुकानों हेतु अधिकतम 03 दुकानों पर ही सिमुलेशन करके आवेदकों को दिखाया जा सकता है। सिमुलेशन के माध्यम से केवल आवेदकों के चयन की संभावना को दिखाया जाता है, न कि दुकानों के वास्तविक आवंटन को। दुकानों का वास्तविक आवंटन रैण्डमाइजेशन की प्रक्रिया द्वारा संपन्न होता है। इस हेतु जिला सूचना विज्ञान अधिकारी का सहयोग अवश्य प्राप्त किया जाय। प्रत्येक प्रकार की दुकान हेतु रैण्डमाइजेशन की प्रक्रिया प्रारम्भ करने से पूर्व 03 अंकों का सीड नम्बर कम्प्यूटर में भरा जायेगा। उक्त सीड नम्बर उपस्थित आवेदकों से एक–एक नम्बर प्राप्त कर तैयार किया जायेगा। प्रारम्भ की गयी रैण्डमाइजेशन की प्रक्रिया उस प्रकार की सम्पूर्ण दुकानों हेतु पूर्ण होने के पश्चात् ही बन्द होगी। प्रत्येक

Scanned with OKEN Scanner

प्रकार की दुकानों हेतु रैण्डमाइजेशन की प्रकिया केवल एक बार ही की जायेगी। रैण्डमाइजेशन की प्रकिया सर्वप्रथम देशी मदिरा की दुकानें, तत्पश्चात् कमशः मॉडल शॉप्स, कम्पोजिट दुकानों एवं भांग की दुकानों हेतु की जायेगी। एक प्रकार की दुकानों में आवंटन का कम सर्वाधिक बेसिक लाइसेंस फीस/लाइसेंस फीस की दुकान से घटते हुये बेसिक लाइसेंस फीस/लाइसेंस फीस वाली दुकान के कम में किया जायेगा। यदि किसी प्रकार की दुकानों में दो अथवा अधिक दुकानों की बेसिक लाइसेंस फीस/लाइसेंस फीस समान होगी तब रैण्डमाइजेशन की प्रकिया में, दुकानों का आवंटन, अंग्रेजी वर्णमाला के कम (शब्दकोष में आने वाले कम) में किया जायेगा।

8– रैण्डमाइजेशन की कार्यवाही ई–लॉटरी पोर्टल पर उपलब्ध जिला आबकारी अधिकारी के लॉग–इन एकाउन्ट से की जायेगी तथा जिला सूचना विज्ञान अधिकारी द्वारा तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान किया जायेगा। वास्तविक रूप से रैण्डमाइजेशन की प्रकिया के पूर्व इस प्रकिया के संबंध में पाण्डाल/हॉल/लॉटरी स्थल पर उपस्थित आवेदकों को यह सूचित किया जाय कि ई–लॉटरी प्रकिया में आई.आई.टी. कानपुर एवं आई.ई.टी. लखनऊ के विशेषज्ञों द्वारा अनुमोदित एलगोरिथिम का प्रयोग किया जा रहा है। साथ ही किसी दुकान के समस्त आवेदकों के चयनित होने की बराबर संभावना को तकनीकी रूप से सिमुलेशन प्रकिया के माध्यम से दिखाया जाय। दुकानों का आवंटन आरम्भ करने के पूर्व जिला स्तरीय समिति द्वारा यह उद्घोषणा की जाय कि अब वास्तविक आवंटन की कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी। इस उद्घोषणा का प्रारूप **संलग्नक–1** है, जिसपर उपस्थित आवेदकों में से कम से कम तीन आवेदकों से हस्ताक्षर कराया जायेगा। इसके पश्चात वास्तविक लॉटरी प्रकिया प्रारम्भ की जायेगी। ई–लॉटरी की प्रकिया के पूर्व संक्षिप्त जानकारी **(संलग्नक–2)** भी उपस्थित आवेदकों को दी जाये।

9– ई–लॉटरी प्रकिया हेतु जनपदवार समय–सारिणी पृथक से अवगत करायी जायेगी।

10– वर्ष 2025–26 के लिए निर्धारित आबकारी नीति के प्रस्तर–5.11(4) के अनुसार "एक आवेदक द्वारा एक से अधिक दुकानों हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जा सकेंगें, किन्तु एक आवेदक को संपूर्ण प्रदेश में अधिकतम 02 दुकानें ही ई–लॉटरी प्रकिया में आवंटित हो सकेंगी। यह 02 दुकानें एक ही जनपद अथवा एक से अधिक जनपदों में भी आवंटित हो सकेंगी।

11– यदि टाइम स्लाट के अनुसार प्रदेश में संपन्न की जा रही ई–लॉटरी प्रकिया के रैण्डमाईजेशन में किसी आवेदक को दो दुकानें आवंटित हो जाती हैं तब ई–लॉटरी पोर्टल द्वारा बाद में संपन्न होने वाले रैण्डमाइजेशन प्रकिया में उक्त आवेदक को कोई दुकान आवंटित नहीं की जायेगी। ऐसे आवेदकों के संबंध में सिमुलेशन के समय आवश्यक जानकारी पोर्टल पर प्रदर्शित होगी।

12– चयनोपरांत चयनित आवेदकों को ई–लॉटरी पोर्टल से जेनेरेटेड आवंटनादेश प्राप्त कराये जायेंगे तथा ई–लॉटरी पोर्टल पर आवेदक के लॉग–इन में यह प्रदर्शित होगा कि उसको कौन–कौन सी दुकानें आवंटित हुई हैं। साथ ही आवेदक को उसके मोबाइल नम्बर पर चयनित होने सम्बन्धी मैसेज भी भेजा जायेगा। संबंधित दुकान की देय बेसिक लाइसेंस फीस/लाइसेंस फीस की सम्पूर्ण धनराशि एवं अन्य देय धनराशियाँ 03 कार्यदिवस के अंदर आनॅलाइन जमा करना अनिवार्य होगा।

13– इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि ई–लॉटरी की संपूर्ण प्रकिया डेटाबेस में टाइम स्टैम्प की जायेगी।

14– ई–लॉटरी की सम्पूर्ण प्रकिया की वीडियोग्राफी भी अनिवार्य रूप से करायी जाय।

15– ई–लॉटरी की साइबर सुरक्षा और संरक्षण को बढ़ाने के लिए यह अपेक्षित है कि ई–लॉटरी प्रक्रिया को प्रतिबंधित डोमेन यानी Static IP वाले नेटवर्क पर निष्पादित किया जाए। बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए, जिला आबकारी अधिकारी द्वारा किसी भी ISP से Static IP के साथ न्यूनतम 100 एमबीपीएस कनेक्टिविटी की लाइन लिया जाना अनिवार्य होगा। उक्त Static IP को ई–लॉटरी तिथि से 48 घंटे पहले एन.आई.सी. टीम, लखनऊ के साथ साझा किया जाना और कनेक्टिविटी परीक्षण एक दिन पहले ई–लॉटरी स्थान पर किया जाना भी अनिवार्य होगा। किसी भी तकनीकी मार्गदर्शन/तकनीकी सलाह के लिए, जिला आबकारी अधिकारी द्वारा संबंधित एन.आई.सी जिला केंद्र से संपर्क किया जा सकता है। इसके साथ ही किसी अन्य ISP से एक अतिरिक्त कनेक्टिविटी भी ली जा सकती है, ताकि किसी एक कनेक्टिविटी में कोई समस्या होने पर बैकअप कनेक्टिविटी का उपयोग करके ई–लॉटरी प्रक्रिया जारी रखी जा सके। ISP का चयन जिला सूचना विज्ञान अधिकारी के परामर्श से किया जाना अनिवार्य है।

16– ऑनलाइन ई–लॉटरी संपन्न करने हेतु ई–लॉटरी स्थल पर कम्प्यूटर, प्रिन्टर, यू0पी0एस0 तथा अन्य आवश्यक Accessories का प्रबन्ध भी किया जाये।

Scanned with OKEN Scanner

17– ई–लॉटरी कराये जाने हेतु बड़े हॉल/पाण्डाल का भी प्रबन्ध कराया जाये जिससे कि ज्यादा से ज्यादा आवेदक ई–लॉटरी प्रकिया में भाग ले सकें। ई–लॉटरी स्थल/पाण्डाल/हॉल पर बिजली की वैकल्पिक व्यवस्था हेतु जनरेटर का भी प्रबन्ध किया जाये। स्थल पर यथासंभव सी0सी0टी0वी0 का भी प्रबन्ध किया जाये।

18– ई–लॉटरी स्थल पर बड़ी स्क्रीनों का प्रबन्ध भी किया जाय, जिससे कि वहां पर उपस्थित प्रत्येक आवेदक ई–लॉटरी प्रकिया को स्पष्ट रूप से देख सके।

19– शान्ति व्यवस्था एवं सुरक्षा की दृष्टि से ई–लॉटरी स्थल पर यथावश्यक मजिस्ट्रेट एवं पुरूष तथा महिला पुलिस बल की पर्याप्त तैनाती की जाये।

20– यह सुनिश्चित किया जायेगा कि ई–लॉटरी स्थल के सम्पूर्ण परिसर में केवल आवेदक द्वारा ही प्रवेश किया जायेगा, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नहीं। इस हेतु परिसर के गेट पर पर्याप्त पुलिस बल तथा मजिस्ट्रेट की तैनाती की जाये एवं पहचान की जाये। पहचान हेतु आवेदक का ई–लॉटरी पोर्टल से निर्गत फोटोयुक्त पंजीकरण स्लिप मान्य होगा। प्रत्येक व्यक्ति की नियमानुसार तलाशी की जाये ताकि कोई भी व्यक्ति शस्त्र या अन्य असलहा लेकर ई–लॉटरी परिसर में प्रवेश न कर सके। महिला आवेदक की तलाशी हेतु महिला कर्मियों तथा इस हेतु समुचित स्थल की व्यवस्था की जाये।

21– उक्त के अतिरिक्त ई–लॉटरी पोर्टल से सम्बन्धित SOP **(संलग्नक–3)** संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि समस्त सम्बन्धित अधिकारी SOP का अध्ययन कर तद्नुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

अतः अनुरोध है कि कृपया तद्नुसार अवगत होते हुये ई–लॉटरी की प्रकिया को पारदर्शिता एवं शुचिता के साथ संपन्न कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः–यथोक्त।

भवदीय

(डॉ. आदर्श सिंह)
आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

संख्या 30382–30587 /टास्क फोर्स–2/ई–लॉटरी/2024–25/तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, आबकारी विभाग, बापू भवन, लखनऊ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2– राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, योजना भवन, लखनऊ।
3– श्री शैलेष कुमार श्रीवास्तव, वरिष्ठ निदेशक (आई0टी0) एवं प्रभागाध्यक्ष, एन0आई0सी0 राज्य केन्द्र, उ0प्र0, लखनऊ।
4– समस्त संयुक्त आबकारी आयुक्त, जोन, उत्तर प्रदेश।
5– समस्त उप आबकारी आयुक्त, प्रभार, उत्तर प्रदेश।
6– समस्त जिला आबकारी अधिकारी, उत्तर प्रदेश को आवश्यक कार्यवाही हेतु तथा इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संलग्न SOP एवं ई–लॉटरी के सम्बन्ध में निर्गत समस्त अन्य निर्देशों को शासनादेश सं0–329 ई–2/तेरह–2025–1889269 लखनऊ दिनांक 28.02.2025 के अन्तर्गत नामित जनपदीय नोडल अधिकारियों के संज्ञान में लायें।
7– समस्त जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8– समस्त अनुभाग अधिकारी, मुख्यालय।

28-2-25

(अरविन्द कुमार राय)
अपर आबकारी आयुक्त
(लाई. एवं औ.वि.), उ.प्र.।

O/C

Scanned with OKEN Scanner

संलग्नक–1

ई–लॉटरी की रैण्डमाइजेशन प्रकिया आरम्भ करने के पूर्व की उद्घोषणा

(जिला आबकारी अधिकारी द्वारा पढ़े जाने हेतु)

आबकारी नीति वर्ष 2025–26 के प्राविधानानुसार, आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित समय–सारिणी के अनुसार आज दिनांक..... को जनपद..... में.....(स्थान का नाम)..... पर आबकारी दुकानों की ई–लाटरी प्रकिया संपादित की जा रही है।

उक्त ई–लाटरी प्रकिया में सिमुलेशन की प्रकिया आपके समक्ष संपन्न की जा चुकी है। अब ई–लाटरी की रैण्डमाइजेशन प्रकिया (दुकानों की वास्तविक आवंटन प्रकिया) आरम्भ की जा रही है। रैण्डमाइजेशन की प्रकिया सर्वप्रथम देशी मदिरा की दुकानें, तत्पश्चात् कमशः मॉडल शॉप्स, कम्पोजिट दुकानों एवं भांग की दुकानों हेतु की जायेगी। एक प्रकार की दुकानों में आवंटन का कम सर्वाधिक बेसिक लाइसेंस फीस/लाइसेंस फीस की दुकान से घटते हुये बेसिक लाइसेंस फीस/लाइसेंस फीस वाली दुकान के कम में किया जायेगा। यदि किसी प्रकार की दुकानों में दो अथवा अधिक दुकानों की बेसिक लाइसेंस फीस/लाइसेंस फीस समान होगी तब रैण्डमाइजेशन की प्रकिया में, दुकानों का आवंटन, अंग्रेजी वर्णमाला के कम (शब्दकोष में आने वाले कम) में किया जायेगा।

हस्ताक्षर उपस्थित आवेदक

1.....

2.....

3.....

4.....

5.....

Scanned with OKEN Scanner

संलग्नक–2

कम्प्यूटर के माध्यम से ई–लॉटरी की आवेदकों हेतु संक्षिप्त जानकारी

ई–लॉटरी का वैज्ञानिक आधार प्रोबेबिलिटी पर आधारित है। एक दुकान पर प्रत्येक आवेदक के चयन होने की संभावना बराबर होती है। कम्प्युटर द्वारा रैण्डम नम्बर जेनेरेट करने की प्रकिया के माध्यम से चयन होता है। इसमें कोई निर्णय किसी व्यक्ति का न होकर कम्प्युटर द्वारा स्वतः लिया जाता है। ई–लॉटरी प्रकिया में आई.आई. टी. कानपुर एवं आई.ई.टी. लखनऊ के विशेषज्ञों द्वारा अनुमोदित एलगोरिथिम का प्रयोग किया जा रहा है।

इस कम्प्युटर सॉफ्टवेयर तथा ई–लॉटरी प्रकिया के पूर्णरूपेण निष्पक्ष और विश्वसनीय होने को IIT कानपुर तथा IET लखनऊ के तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा प्रमाणित किया गया है।

Scanned with OKEN Scanner